

BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

GWALIOR

नवीन प्रकरण-२३१/१७
२३१-१-१७

Case No. /2017 Revision

Petitioner

Hazrat Khan, S/o- Shri Amruddin
Khan, Age- 48 Years, Occupation-
Labour, R/o- Village Malanpur,
District Bhind

Vs

Respondents

1. State of Madhya Pradesh through
Tehsildar Gohad District Bhind
2. Sub Divisional officer Gohad
District Bhind

**REVISION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND
REVENUE CODE 1959 AGAINST ORDER DATED 27-12-2016
PASSED IN CASE NO. 16/2016 APPEAL PASSED BY SDO GOHAD
DISTRICT BHIND WHEREBY THE SDO DISMISSED THE
APPLICATION UNDER SECTION 52 OF THE MPLRC**

The humble applicant most respectfully submits his revision application as under:-

1. That, the facts of the case are that the applicant who is a labour and permanent residents at Village Malanpur residing in a house which was construct by his father before 50 years and since his birth he is

307
द्वारा आज दि. 17-1-17 को
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट 17-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

Rosemary
Sd/- P.D. Gohad
17-1-17-18


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

17

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-231-एक/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p>	1-